उत्तर प्रदेश शासन
भाषा अनुभाग–3
संख्या–190 / इक्कीस–3–2013–32(5) / 90
लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

विषय–उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन / ग्रेच्यूटी / पारिवारिक पेंशन की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के कार्मिकों के लिये पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक सुविधायें भाषा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–14 / 21–उर्दू–2–95–32(5) / 90 दिनांक 04 दिसम्बर 1995 द्वारा अनुमन्य करायी गयी हैं। वेतन समिति (2008) की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 07 फरवरी 2009 भाग–2 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न श्रेणी कार्मिक / पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर, जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय कर्मियों के सादृश्य अनुमन्य है, की पेंशन पुनरीक्षण राजकीय कर्मियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

2. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन का निर्धारण निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1). उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर, जिन्हें भाषा अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर 1995 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है, उनकी पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण वित्त सामान्य अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1515 / दस–2008–308–97 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित पेंशन का वास्तविक लाभ दिनांक 01 मार्च 2010 (जिस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य कराया गया है) से अनुमन्य कराया जाय।

(2). उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के ऐसे कार्मिक, जो दिनांक 01 मार्च 2010 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए, उनकी पेंशन / पारिवारिक पेंशन आदि का निर्धारण वित्त सामान्य अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1508 / दस–2008–308–97 दिनांक 08दिसम्बर 2008 की व्यवस्थानुसार करते हुए पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य करायी जाय।

(3). उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के ऐसे कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी 2006 से दिनांक 01 मार्च 2010 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, यह देखते हुए कि यह सेवानिवृत्ति की तिथि तक अपुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन आहरित करते रहें हैं और इन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन का निर्धारण वित्त सामान्या अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308–97 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–12 के अनुसार उसी प्रकार निर्धारित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाये, जैसा कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि तक अपुनरीक्षित वेतनमान में ही अपने विकल्प के अनुसार बने रहने वाले राजकीय कर्मियों की पेंशन निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 331 /दस–ई–7/2013 दिनांकः 4 ~~फरवरी~~ फरवरी 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–190(1)/इक्कीस–3–2013–32(5)/90, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, ~~जवाहर भवन~~, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–7।
7. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3।
8. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2।
9. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
10. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

14/02/2013
14.02.13

आज्ञा से,
(आर0 एन0 द्विवेदी)
अनु सचिव।